

निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला
2. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, सैक्टर-4, पंचकूला
3. निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला
4. महानिदेशक, आईटीआई विभाग, 30 वेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा पर्यटन भवन, सैक्टर-2, पंचकूला
6. महानिदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला
7. रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

कमांक 29649-625 / अ0स0क0 / एस0जे0ई0 / 2016

चण्डीगढ़, दिनांक 26/08/16

विषय:-

Guidelines for operationlization of National Scholarhsip Portal 2.0 (NSP 2.0)
and

Extension of last date for submission of online application under school education level i.e. pre matric for class I to X and post matric for class XI and XII for students belonging to the minority communities for the year 2016-17 - reg.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त नेशनल स्कालरशिप पोर्टल एन0एस0पी0 2.0 से सम्बन्धित गाईडलाईन भेजते हुये अनुरोध है कि आप अपने से अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों को निर्देश करे कि गाईडलाईन अनुसार छात्रों से नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाये।

इसके अतिरिक्त जो स्कूल/कालेज/शिक्षण संस्थान अभी तक नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हुये है उन्हें भी रजिस्ट्रेशन शीघ्र करने बारे निर्देश देवे। भारत सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आनलाईन आवेदन करने की तिथि 31.8.2016 से बढ़ाकर के 30.9.2016 कर दी गई है इसकी जानकारी आप अपने से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों को देवे।

आपसे यह भी अनुरोध है कि तीनों स्कीमों कमशः प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट-कम-मिन्स स्कीम का पोस्टर भेजते हुये लिखा जाता है कि स्कीमों का प्रचार/प्रसार करवाये ताकि छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक आवेदन करके छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त किया जा सके।

संलग्न: उपरोक्त

संयुक्त निदेशक (अ0स0क0)

कृते: निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़

पू0 कमांक

/अ0स0क0 / एस0जे0ई0 / 2016 चण्डीगढ़, दिनांक

इसकी एक-एक प्रति सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों, हरियाणा राज्य में भेजते हुये निर्देश दिये जाते है कि भारत सरकार से प्राप्त गाईडलाईन/दिशा निर्देशों बारे जिला स्तर पर जिला से सम्बन्धित शिक्षा विभागों को जानकारी उपलब्ध करवाये जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सके।

संयुक्त निदेशक (अ0स0क0)

कृते: निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।